दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की कटौती शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

राजधानी में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही गर्मी भी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में एक दिन में बिजली की अधिकत मांग तकरीबन 132 मेगावाट अधिक दर्ज की गई।

इसका परिणाम है कि राजधानी के कई क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती शुरू हो गई है। मोहन गार्डन, उत्तम नगर के स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तकनीकी फाल्ट और मरम्मत कार्य के नाम पर बिजली की कटौती की जा रही है। आलम यह है कि इलाके के आर-पांच, ब्लाक में गुरुवार और शुक्रवार को तकनीकी फाल्ट के नाम पर कई घंटे तक बिजली गुल रही।

मोहन गार्डन आर ब्लाक निवासी रवि रंजन दुबे ने बताया कि शुक्रवार को इलाके में सुबह करीब 11:30 बजे बिजली काटी गई थी और शाम करीब चार बजे तक नहीं आई। शुक्रवार को अघोषित कटौती की गई थी। हालांकि, गुरुवार को उपभोक्ताओं के पास बिजली कंपनी की ओर से संदेश आया था कि तकनीकी फाल्ट की वजह से इलाके में कुछ घंटे के लिए बिजली सेवा बाधित रहेगी। बिपिन गार्डन स्थित बिजली कंपनी बीएसईएस के शिकायत केंद्र पर फोन किया जाता है तो कोई फोन उठाने वाला नहीं होता, जिससे यह पता चल सके कि बिजली कब तक गुल रहेगी।

मरम्मत कार्य की वजह से कुछ क्षेत्रों में की जा रही बिजली कटौती

बीएसईएस के प्रवक्ता का कहना है कि इलाके में तकनीकी फाल्ट की वजह से बिजली काटी गई होगी। मरम्मत कार्य की वजह से कुछ इलाके में बिजली की कटौती की जा रही है। पर इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को मोबाइल पर संदेश भेजकर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली की कटौती से दिक्कत ना हो। इसके लिए लाइनमैन और अन्य कर्मचारी तकनीकी फ्लाट समेत अन्य मरम्मत कार्य करते रहते हैं।

राजधानी में कोरोना से दो लोगों की मौत, 733 नए मामले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर कोरोना के 733 मामले शुक्रवार को सामने आए हैं।

यह पहले सात महीने में सबसे ज्यादा है। संक्रमण से दो मरीज की मौत हो गई और 460 मरीजों के ठीक होने की जानकारी भी सामने आ रही है। दिल्ली में गुरुवार की तुलना में संक्रमित होने वालों की संख्या में शुक्रवार को वृद्धि हुई। गुरुवार को संक्रमण का दर जहां 16.98 फीसद था। वहीं, शुक्रवार को यह बढ़कर 19.93 फीसद दर्ज किया गया। कुल 3678 लोगों की जांच की गई थी।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर शुक्रवार को 19.93 फीसद दर्ज किया गया है। कुल 1491 मरीजों का घर पर एकांतवास में रखा गया था, जबकि 91 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा था।

वहीं, गुरुवार को कोरोना के 606 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीज की मौत का प्राथमिक कारण कोरोना नहीं है। वहीं, बुधवार को दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। दस फीसद उछाल के साथ संक्रमण दर 26.54 फीसद पहुंच गई थी।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर शुक्रवार को 19.93 फीसद दर्ज किया गया है। कुल 1491 मरीजों का घर पर एकांतवास में रखा गया था, जबकि 91 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा था।

आभूषण दुकान में लूटपाट, पांच आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

नांगलोई क्षेत्र के आभूषण की दुकान में घुस कर गहने लूटने की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में पांच कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इनसे तीन पिस्तौल, एक कट्टा, आठ कारतूस, 260 ग्राम सोना, 110 ग्राम चांदी के आभूषण, वारदात में इस्तेमाल दो स्कूटी और 28 हजार रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने बताया कि गत चार अप्रैल को नांगलोई स्थित आभूषण शोरूम में हथियारबंद चार बदमाशों द्वारा हथियार के बल पर सोने और चांदी के आभूषण के अलावा नकदी लूटने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

सार्वजनिक शौचालय से 50 लीटर तेजाब जब्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अपैल।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में औचक निरीक्षण के दौरान मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय में खुले में रखा लगभग 50 लीटर तेजाब जब्त किया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

निरीक्षण गुरुवार रात को किया गया। डीसीडब्लू ने भी इसकी पुष्टि की। इस बाबत मालीवाल ने भी ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो सार्वजनिक शौचालय में तेजाब पाए जाने पर कर्मचारियों और प्रबंधन को डांटती नजर आ रही हैं। मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दरियागंज में सार्वजनिक शौचालय निरीक्षण में जो पाया उसे देख आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। मध्य दिल्ली के शौचालय में खुले में 50 लीटर तेजाब पड़ा मिला। उन्होंने कहा-सोचिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। पुलिस को बुला कर तेजाब जब्त करवाया।

हम दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से इसका जवाब लेंगें और दोषियों पर कार्रवाई होगी। आयोग की अध्यक्ष ने नगर निगम से इस मामले में विस्तृत दस्तावेज 11 अप्रैल तक देने को कहा है। इसे लेकर मालीवाल ने नगर निगम के स्थानीय उपायुक्त को समन जारी कर मामले में रिपोर्ट मांगी। आयोग ने अधिकारियों को तलब किया है कि वे उन बिलों की प्रति के साथ पेश हों, जिनसे तेजाब खरीदा गया था और साथ ही उक्त शौचालय के रखरखाव के लिए निगम की ओर से वितरित धनराशि की जानकारी भी साथ में दें।

इसके अलावा, आयोग ने 10 रुपए का उपयोग शुल्क लेने करने का कारण पूछा है। सार्वजनिक शौचालयों के उपयोगकर्ता शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देशों व नियमों की प्रति भी मांगी है। आयोग ने निगम के शौचालय परिसरों को बंद रखने का कारण भी पूछा है और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयोग को यह भी बताया गया कि शौचालय रात 10 बजे बंद कर दिया जाता है, जिससे महिलाएं और लड़कियां खुले में शौच के लिए असुरक्षित हो जाती हैं।

मालीवाल ने ट्वीट कर कहा, दरियागंज में सार्वजनिक शौचालय निरीक्षण में जो पाया उसे देख आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। मध्य दिल्ली के शौचालय में खुले में 50 लीटर तेजाब पड़ा मिला। सोचिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी।

'केजरीवाल सरकार की लापरवाही से अभिभावकों का हो रहा है शोषण'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार की मिलीभगत और लापरवाही के कारण राजधानी के अभिभावकों को खुलेआम शोषण हो रहा है।

इस साल स्कूलों ने बिना अनुमति के ही फीस बढ़ा दी, कई स्कूलों ने ईडब्लूएस कोटे के बच्चों का दाखिला करने से इनकार कर दिया, मनमाने प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगा दीं और किताबें व कापियों की बिक्री में भी अवैध मुनाफा कमाया। दिल्ली सरकार ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर सकती है लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बिधूड़ी ने दावा किया कि दिल्ली के तमाम नामी स्कूलों में फीस में 10 से 15 फीसद बढ़ोतरी की गई है। अभिभावकों की शिकायतों के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई और कार्रवाई की। जबकि दिल्ली सरकार के पास इस धांधली को रोकने के पूरे अधिकार हैं। दिल्ली शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।

बिधूड़ी ने दावा किया कि दिल्ली के तमाम नामी स्कूलों में फीस में 10 से 15 फीसद बढ़ोतरी की गई है। अभिभावकों की शिकायतों के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई और कार्रवाई की। जबकि दिल्ली सरकार के पास इस धांधली को रोकने के पूरे अधिकार हैं।

दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों के स्थानातंरण का मामला

आप सरकार ने करीब चार माह लटकाई फाइल : उपराज्यपाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूलों के स्थानांतरण को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अब आमने-सामने है। शुक्रवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार द्वारा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बार-बार हाईकोर्ट में झूठे बयान दिए हैं।

उपराज्यपाल ने इन बयान की आलोचना की है। उपराज्यपाल ने मामले में मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट को गुमराह करने और जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें और अदालत को मामले की तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराएं।

उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने दो बार- 18 नंवबर 2022 और 17 फरवरी 2023 को अदालत को यह कहकर गुमराह किया कि विशेष स्कूल संबंधित मामले की फाइल उपराज्यपाल के पास लंबित है जबकि सच्चाई यह थी कि दिल्ली सरकार ने इस फाइल को अनावश्यक रूप से खुद ही लटका रखा था। इस फाइल को जानबूझकर सरकार/मंत्री स्तर पर महीनों तक लंबित रखा गया। अदालत (हाईकोर्ट) को दो बार गुमराह करने के 4 महीने बाद 28 मार्च 2023 को उपराज्यपाल के पास भेजा गया।

उपराज्यपाल ने सरकार की इस झूठी प्रवृति पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहा है कि दिल्ली के नागरिकों, मीडिया और यहां तक कि कोर्ट को भी गुमराह करने की आप सरकार ने 'दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय' प्रवृत्ति विकसित कर ली है।

दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह के झूठे बयान को हाईकोर्ट में पेश करना मानहानि और झूठी गवाही के बराबर हैं। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा कि आप सरकार द्वारा हाईकोर्ट को बार-बार गुमराह करना बेहद चिंताजनक है। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल और ऊर्जा मंत्री आतिशी के उस बयान पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज की जिसमें उन्होंने बिजली छूट (सब्सिडी) रोकने की कोशिशों का आरोप एलजी पर लगाया है।

मुख्यमंत्री को नसीहत, मंत्रियों को गलत बयानी से बचने की सलाह दें। *कहा* विफलताओं को छिपाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालतों में झूठे बयान दे रही।

ठगी मामले में झारखंड से हुई गिरफ्तारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

ग्राहक सेवा सहायता प्रदान करने के नाम पर लोगों को आनलाइन चूना लगाने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी की पहचान जामताड़ा निवासी दिलावर हुसैन के रूप में हुई है। वह केरल में दर्जी का काम करता था और हाल में फर्जीवाड़ा करके ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने गांव लौट आया था।

स्वास्थ्य शिविर आयोजित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज न्यू अशोकनगर स्थित डीपीएमआइ में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह पहल जेपी अस्पताल नोएडा और लायंस आइ सेंटर दिल्ली के सहयोग से की गई। यहां 300 से ज्यादा लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई। इस मौके पर डीपीएमआइ में नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया।

यूको बैंक UCO BANK

NOTICE

Ref No: NDZO/GAD/2023-24/TN-01

DATE: 05.04.2023

UCO Bank, Zonal Office, New Delhi desires to invite sealed offers from reputed Contractors for execution of interior furnishing and electrical work in KG Marg Branch as per Bank's specification under supervision of our empanelled architect in TWO PART SYSTEM, PART-I (Pre-Qualification Documents) & PART-II (Bid Documents) to be submitted to Zonal Manager, UCO Bank, Zonal Office, New Delhi in two separate envelopes. The eligible and interested contractor may collect the "Document for Tender" from the following Zonal Office, New Delhi by paying non-refundable fee of Rs. 1000.00 by way of Demand Draft payable to ZONAL OFFICE, New Delhi. The document can also be downloaded from our website. The document submitted without the prescribed fee will be summarily rejected. The duly completed document in the prescribed format with all supporting documents shall be sealed in a cover and super scribed as 'Application for TENDER of (Category name)', (Branch name) and the same be submitted to ZONAL OFFICE, New Delhi.

Tender document may be obtained / downloaded from 05.04.2023 to 14.04.2023 from Zonal Office, New Delhi & Bank website (www.ucobank.com) respectively. Date & Place of Submission of Tender: Upto 5.00 PM on 14.04.2023 at the office of the Zonal Manager, UCO Bank Zonal Office, 5 Sansad Marg, New Delhi. Tender will be addressed to: **Zonal Manager, UCO Bank Zonal Office, 5 Sansad Marg, New Delhi.**

Date, Time & Place of opening of Tender: 15.04.2023 at 11.00 AM in Zonal Office, New Delhi.

UCO BANK reserves its right to reject any / or all the applications without assigning anyreasons whatsoever.

Zonal Manager Zonal Office, New Delhi

सार्वजनिक सूचना

केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

और

पार्कब्रिज फैमिली ऑफिस एलएलपी

(एलएलपीआईएन : एएडब्ल्यू-2907)

जिसका पंजीकृत पता : सी-5/56, दूसरी मंजिल, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070

....आवेदक/याचिकाकर्ता एलएलपी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "पार्कब्रिज फैमिली ऑफिस एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को एक याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने की अनुमति मांगी गई है।

एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली और हरियाणा, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

सी-5/56, दूसरी मंजिल, वसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
पार्कब्रिज फैमिली ऑफिस एलएलपी
हस्ता/-
कुणाल कौल
(नामित साझेदार)
डीपीआईएन : 07228792

दिनांक: 07 अप्रैल 2023
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र- 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

जील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नोएडा में रियल एस्टेट (कमर्शियल) प्रोजेक्ट में परिचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	जील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U45200DL2006PTC153351
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एम-113, बेसमेंट साइट नंबर-1, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060 (पूर्व में पंजीकृत कार्यालय: दुकान नंबर 2ई, साइट-2, 4 और 20 डीडीए मार्केट, न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली-110060)
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://zealdevelopers.com/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	एन-15/16, सैक्टर 18, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा 201301
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	वाणिज्यिक परिसर 1744.726 वर्ग मीटर
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022:- मात्रा-लागू नही, मूल्य - 162.71 लाख
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	1
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	https://zealdevelopers.com/ पर उपलब्ध
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	https://zealdevelopers.com/ पर उपलब्ध
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	23 अप्रैल 2023
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	03 मई 2023
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	08 मई 2023
13.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	cirp.zealdeveloperspvtltd@gmail.com

तिथि : 07.04.2023
स्थान : नई दिल्ली

अतुल मित्तल
समाधान प्रोफेशनल, ज़ील डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031.

दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

अधिकृत प्राधिकारी : किशनीत कौर, सम्पर्क नम्बर : 9818130420- ई-मेल : kishneet.kaur@idfcfirstbank.com

परिशिष्ट-IV-A

[नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, आर.जे.एस. इंजीनियर्स प्रा.लि., चन्द्रकांता (कर्जदार-सहकर्जदार) **से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के खाता सं. 7377040, 2973551 में 13.11.2019 तक बकाये रु. 64,36,791/- की वसूली के लिए 09.05.2023 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी।**

नीलामी की स्थिति

आरक्षित मूल्य	रु. 7,000,000/-
जमा धरोहर राशि	रु. 7,00,000/-
संविदा जमा करने/जमा धरोहर राशि की तिथि	08.05.2023 को 5.00 बजे अप. तक
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	02.05.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.
नीलामी की तिथि	09.05.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
सम्पत्ति का विवरण	यूनिट सं. 18, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजेनाइन क्षेत्र 18.36 वर्ग मीटर का समस्त भाग, यूनिट नं. 19, माप 17.90 वर्ग मीटर मेजेनाइन क्षेत्र 18.36 वर्ग मीटर, जीएफ एवं एमई 22, सीएससी-1, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली -110085

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC में प्रावधानित लिंक का संदर्भ लें।

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.04.2023

अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

प्रपत्र- 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

फैरोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का फरीदाबाद हरियाणा में रियल एस्टेट कारोबार का परिचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	फैरोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पैन : AAAF9776H1ZA सीआईएन: U45201DL2006PTC145748
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	फैरोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बी-22, लोअर ग्राउंड फ्लोर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
3.	वेबसाइट का यूआरएल	http://www.ferrousinfra.in
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	1. फैरोस सिटी, सैक्टर-89, फरीदाबाद, हरियाणा 2. सैक्टर-19, गुड़गांव एक्सटेंशन, धारुहेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	(see table below) *आंकड़े पूरे रिकॉर्ड की उपलब्धता और इसकी जांच पर आगे संशोधन के अधीन हो सकते हैं। नोट: कुल ईडब्ल्यूएस फ्लैट स्वीकृत और निर्मित फरीदाबाद- 180, वा बिका- 103
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	लागू नही
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	योग्य समाधान आवेदक cirp.ferrousinfra@gmail.com और nksharma.fcs@gmail.com पर मेल द्वारा समाधान प्रोफेशनल को अनुरोध सबमिट कर सकते हैं।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	cirp.ferrousinfra@gmail.com और nksharma.fcs@gmail.com पर अनुरोध पर प्रदान की जाने वाली अभिरुचि की अभिव्यक्ति का विस्तृत आमंत्रण देखें।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	23 अप्रैल 2023
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	03 मई 2023
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	08 मई 2023
13.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	cirp.ferrousinfra@gmail.com

परियोजना का नाम	स्वीकृत	निर्माण	बिका हुआ	बिके नही
फरीदाबाद	838	826	752	74*
धारुहेड़ा	548	548	430	118

हस्ता/-
नरेंद्र कुमार शर्मा
समाधान प्रोफेशनल, फैरोस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294
पता : 112ए, फेस-V, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा-122016

तिथि : 08.04.2023
स्थान : गुड़गांव

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपलन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. 2023 का -----

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

तथा

एप्पलैब्स मीडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः एच.नं.-डी-1702, एलिट होम्ज, निकट प्रतीक विस्टेरिया, सेक्टर-77, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301, भारत में है, के मामले में .... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **''उत्तर प्रदेश राज्य''** से **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली''** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25 मार्च, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: पंजीकृत कार्यालयः एच.नं.-डी-1702, एलिट होम्ज, निकट प्रतीक विस्टेरिया, सेक्टर-77, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301, भारत

एप्पलैब्स मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(निदेशक)
नामः निपुण चढ़ा
DIN No.: 08630914
पताः ई142, प्लॉट नं.-5, वैभव खंड, 14वां तल; इन्दिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, विन्डसर पार्क अपार्ट., गाजियाबाद उ.प्र.-201014
हस्ता./- (निदेशक)
नामः आलोक कुमार पाण्डेय
DIN No.: 08630915
पताः एच. नं. डी-1702, एलिट होम्ज, सेक्टर-77, नोएडा
तिथिः 25.3.2023

प्रपत्र- 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

टी आर एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अन्य व्यावसायिक गतिविधि, जैसे सलाहकारों की सेवाओं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सलाहकारों के डेवलपर्स सूचना प्रणाली प्रदान करने में और कंप्यूटर के उपयोग पर आधारित आईटी समाधान, व्यापारी, वितरक के परिचालन में नई दिल्ली, भारत में

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	टी आर एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74899DL2003PTC119643
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	प्रॉपर्टी नंबर 2289, प्लॉट नंबर- 141/9, भूतल स्ट्रीट नंबर-61, ब्लॉक बी, संत नगर गांव, बुराड़ी नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली डीएल - 110084 भारत (वर्तमान में जे एंड के-7 ब्लॉक, भूतल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092)
3.	वेबसाइट का यूआरएल	लागू नही
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार सीडी के पास निवेश को छोड़कर कोई मूर्त/स्थायी संपत्ति उपलब्ध नहीं है
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नही
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य/पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	शून्य
7.	कर्मचारियों/कामगार की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	विवरण आरपी से ईमेल आईडी ip.trstechnology@gmail.com के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	विस्तृत ईओआई में पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है और इसे आरपी से ईमेल आईडी ip.trstechnology@gmail.com के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	22 अप्रैल 2023
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	02 मई 2023
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07 मई 2023
13.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	ip.trstechnology@gmail.com

संजय अग्रवाल
समाधान प्रोफेशनल, टी आर एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत)
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00494/2017-2018/10882
पंजीकृत पताः 39, पॉकेट-1, जसोला, नई दिल्ली-110025

तिथि : 07.04.2023
स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com